MP EXAMS WALLAH | ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

MPPSC

दैनिक क्लास नोट्स

भूगोल

Lecture – 21

भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएँ

MP EXAMS WALLAH

भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएँ

आपदा क्या है

- "आपदा एक अवांछनीय घटना है जो उन शक्तियों के कारण होती है जो काफी हद तक मानव नियंत्रण से बाहर होती हैं, जो बिना किसी चेतावनी के या बहुत कम समय में हमला करती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और चोट सहित जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान होता है या खतरा होता है, और इसलिए, ऐसे प्रयासों की आवश्यकता होती है जो सामान्य रूप से वैधानिक आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

- **23 दिसंबर 2005** को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, ताकि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व और कार्यान्वयन किया जा सके।
- भारत रोकथाम, शमन और तैयारी के एक लोकाचार के विकास की कल्पना करता है। भारत सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और लोगों की भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान और विनाश को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- इसे एक सुरक्षित, आपदा प्रतिरोधी और गतिशील भारत के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित, सक्रिय, बहु-खतरे और बहु-क्षेत्रीय रणनीति अपनाकर पूरा करने की योजना है।

NDMA का विजन:

- "एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाए और रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।"

कार्य और उत्तरदायित्व:

शीर्ष निकाय के रूप में NDMA को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा-निर्देश बनाने का अधिकार है, ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना।
- राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना।
- राष्ट्रीय योजना के अनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को अनुमोदित करना।
- राज्य योजना तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- आपदा की रोकथाम या उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के उपायों को उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में एकीकृत करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना।
- न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना।
- प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान करना जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
- आपदा की रोकथाम, या न्यूनीकरण, या आपदा की आशंका वाली स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें वह आवश्यक समझे।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

NDMA प्रतीक चिन्ह (Logo):

- NDMA का **प्रतीक चिन्ह** भारत में आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए सभी हितधारकों को सशक्त बनाने की राष्ट्रीय दृष्टि की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक आपदा प्रवण देशों में से एक है।
- जलवायु परिवर्तन भेद्यता सूचकांक के अनुसार भारत दूसरा सबसे कमजोर है।
- 2050 तक 200 मिलियन से अधिक आबादी बाढ़ और भूकंप की चपेट में है।

भारत में आपदा प्रबंधन:

- एक सामान्य आपदा निरंतरता में छह तत्व शामिल होते हैं; आपदा-पूर्व चरण में रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी शामिल होती है, जबकि आपदा-पश्चात चरण में प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति शामिल होती है।

आपदा	संकट
❖ आपदा एक ऐसी घटना है जो ज्यादातर मामलों में अचानक/अप्रत्याशित रूप से घटित होती है और प्रभावित क्षेत्र में जीवन के सामान्य क्रम को बाधित करती है। ❖ आपदाएँ मुख्य रूप से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में होती हैं।	❖ खतरा एक ऐसी घटना है जिससे चोट लगने/जानमाल की हानि या संपत्ति/पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ❖ खतरे मुख्य रूप से उन जगहों पर होते हैं जहाँ आबादी कम होती है

❖ आपदाएँ कई स्थितियों के कारण प्रकृति के अलग-अलग व्यवहार का परिणाम होती हैं। ❖ जब वे संपत्ति और मानव जीवन के व्यापक विनाश का कारण बनते हैं, तो उन्हें आपदा कहा जा सकता है। ❖ जब खतरा सक्रिय हो जाता है और सिर्फ़ एक खतरा नहीं रह जाता है, तो उसे आपदा कहा जाता है।	❖ खतरा लापरवाही के कारण हो सकता है। ❖ खतरे प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएँ हैं जो अक्सर ग्रह पर घटित होती रहती हैं। ❖ खतरे अपनी निष्क्रिय अवस्था में, जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करते हैं।

आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द:

- **स्वीकार्य जोखिम :** संभावित हानि का वह स्तर जिसे एक समुदाय या समाज मौजूदा **सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी** और **पर्यावरणीय** स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार करने को तैयार है।
- **क्षमता :** किसी समुदाय, समाज या संगठन में उपलब्ध सभी शक्तियों, विशेषताओं और संसाधनों का संयोजन जिसका उपयोग सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- **सामना करने की क्षमता :** उपलब्ध कौशल और संसाधनों का उपयोग करके लोगों, संगठनों और प्रणालियों की प्रतिकूल परिस्थितियों, आपात स्थितियों या आपदाओं का सामना करने और उनका प्रबंधन करने की क्षमता।
- **महत्वपूर्ण सुविधाएं :** प्राथमिक भौतिक संरचनाएं, तकनीकी सुविधाएं और प्रणालियां जो किसी समाज या समुदाय के कामकाज के लिए सामाजिक, आर्थिक या परिचालनात्मक रूप से आवश्यक हैं, चाहे वह सामान्य परिस्थितियों में हो या आपातकालीन परिस्थितियों में।
- **आपदा जोखिम :** किसी आपदा के कारण भविष्य में होने वाली संभावित हानि, जिसमें किसी समुदाय में जान, संपत्ति, आजीविका या सेवाओं की हानि शामिल है।
- **आपदा जोखिम प्रबंधन :** जोखिमों के प्रतिकूल प्रभावों और आपदा की संभावना को कम करने के लिए रणनीतियों, नीतियों और बेहतर सामना करने की क्षमताओं को लागू करने के लिए प्रशासनिक निर्देशों, संगठनों और परिचालन कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली :** वह प्रणाली जो आने वाले जोखिमों के बारे में पूर्वानुमान लगाने और पूर्व चेतावनी देने में मदद करती है, ताकि समुदाय हानि को कम करने के लिए तैयार हो सकें और कार्य कर सकें।
- **आपातकालीन सेवाएँ : आपातकालीन स्थितियों के दौरान लोगों की सेवा** और **सुरक्षा** के लिए जिम्मेदार विशेष एजेंसियां (जैसे, अग्निशमन विभाग, चिकित्सा सेवाएँ)।

- **पर्यावरणीय अवनति :** पर्यावरण को होने वाली क्षति जो सामाजिक और पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता को कम कर देती है।
- **पूर्वानुमान:** किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए भविष्य में होने वाली घटना या स्थितियों की संभावित घटना का निश्चित कथन या सांख्यिकीय अनुमान।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम के पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे परियोजना या कार्यक्रम के प्रतिकूल प्रभावों को सीमित या कम करने की दृष्टि से नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता है।

- **संकट:** कोई खतरनाक घटना, पदार्थ, मानवीय गतिविधि या स्थिति जो जीवन की हानि, चोट या अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, संपत्ति की क्षति, आजीविका और सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती है।
- **रेट्रोफिटिंग:** मौजूदा संरचनाओं को सुदृढ़ करना या उन्नत करना ताकि वे जोखिमों के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी और लचीली बन सकें।
- **सतत विकास:** ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- **भेद्यता:** किसी समुदाय, प्रणाली या परिसंपत्ति की विशेषताएं और परिस्थितियां जो उसे किसी जोखिम के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
- **प्राकृतिक आपदा**: एक प्राकृतिक घटना या प्रक्रिया (जैसे भूकंप या बाढ़) जो हानि, चोट या क्षति का कारण बन सकती

ooooo

MP EXAMS WALLAH